मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में ली गयी समीक्षा बैठक दिनांक 21.03.2025 का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा दिनांक 21.03.2025 को की गयी, जिसमें जल निगम (ग्रामीण), नामित कार्यदायी संस्था मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा/मेसर्स जी.ए. विश्वनाथ/मेसर्स के.एल.एस.आर एवं डीपीएमयू/टीपीआई/आईएसए के निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

1– श्री जितेन्द्र नाथ, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), मऊ।
2– श्री नन्दलाल सिंह, (से0नि0 एस0डी0एम0), डी0सी0, डीपीएमयू, मऊ।
3– श्री प्रतीक त्रिपाठी, जिला प्रतिनिधि– मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा (कार्यदायी संस्था)।
4– श्री प्रतीक, जिला प्रतिनिधि–मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ (कार्यदायी संस्था)।
5– श्री साम्भा शिवा रॉव, जिला प्रतिनिधि–मेसर्स के.एल.एस.आर (कार्यदायी संस्था)।
6– श्री यशवीर सिंह, डीपीएम, टीपीआई संस्था।
7– श्रीमती शिखा तिवारी, जिला प्रतिनिधि–मे0 समाज कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान (आईएसए)।
8– श्री बृजेश गिरि, जिला प्रतिनिधि–मेसर्स अभिनव बाल एवं ग्रामोत्थान समिति (आईएसए)।
9– श्री ऋषि राय, जिला प्रतिनिधि– मेसर्स जन कल्याण समिति (आईएसए)।

जल जीवन मिशन से सम्बन्धित निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं का निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्थाओं/निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता का परीक्षण करने हेतु नामित थर्ड पार्टी तथा जागरूकता एवं स्वच्छता से सम्बन्धित गतिविधियों को सम्पादित करने वाली इम्प्लीमेन्ट सपोर्ट एजेन्सी के साथ डीपीएमयू तथा सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी। अधिशासी अभियन्ता के प्रतिनिधि के रूप में श्री जितेन्द्र नाथ सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि द्वितीय फेज में मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा 2021 से कार्य प्रारम्भ किया गया है। पाचवें फेज में मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ एवं मेसर्स के.एल. एस.आर द्वारा दिसम्बर 2022 से कार्य प्रारम्भ किया गया है। संस्थावार कार्य की प्रगति की समीक्षा की गयी एवं निम्नानुसार निर्देश दिये गये।

1– माननीय मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की नियमित समीक्षा बैठक प्रत्येक माह जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की जाती है। जल जीवन मिशन से सम्बन्धित एफएचटीसी (गृह संयोजन) की प्रगति की भी समीक्षा की जाती है। जनपद मऊ में गृह संयोजन (एफएचटीसी) की अत्यंत दयनीय प्रगति के कारण पूरे प्रदेश के सबसे न्यूनतम प्रगति वाले पॉच जनपदों में मऊ का भी नाम है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा एफएचटीसी में घोर लापरवाही एवं उदासीनता के कारण जनपद मऊ की छवि धूमिल हुयी है। पूर्व में भी सूधार किये जाने के कड़े निर्देश दिये जाने के पश्चात अपेक्षित प्रगति नही की गयी। कार्यदायी संस्थाओं की पृथक–पृथक समीक्षा करते हुये दिनांक 25.03.2025 तक लक्ष्य पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये तथा संस्थाओं के कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया।

2– सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स एल.सी.इन्फा द्वारा 219 परियोजनाओं से सम्बन्धित 488 ग्रामों राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 125 ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। रोड रेस्टोरेशन में 1024 के सापेक्ष 1002 को मोटरेबुल बनाया गया है तथा 289 राजस्व ग्रामों में शत–प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया है। 251 ट्यूबवेल के सापेक्ष 217 ट्यूबवेल कम्प्लीट किये गये हैं। इसी प्रकार 251 के सापेक्ष 217 पम्प हाउस पूर्ण किया गया है। शिरोपरि जलाशय मात्र 47 पूर्ण किये गये हैं। 55 क्लोरिनेशन प्लान्ट लगाये गये है, जिसमें से 45 संचालित किये जा रहें है। 2963 किमी0 पाईप लाईन वितरण के सापेक्ष 2841 किमी0 पाईप लाईन विछायी गयी है। 219 सोलर प्लान्ट के सापेक्ष 171 सोलर प्लान्ट पूर्ण हो चुके हैं। 96947 नल कनेक्शन के सापेक्ष 87657 नल कनेक्शन 90.42 प्रतिशत दशार्य गये हैं। 121 कम्प्लेन में 120 का निस्तारण होना दर्शाया गया है। समीक्षा हेतु प्रस्तुत विवरण पत्र में दर्शायी गयी प्रगति के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता भौतिक सत्यापन कराने की आवश्यकता है। प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु कार्यदायी संस्था के साथ–साथ अधिशासी अभियन्ता को भी निर्देश दिये गये। कार्यदायी संस्था को अवशेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने तथा दिनांक 25.03.2025 तक 1500 एफएचटीसी पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

Scanned with OKEN Scanner

3– सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 199 परियोजनाओं से सम्बन्धित 510 ग्रामों राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 210 ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। रोड रेस्टोरेशन में 884 के सापेक्ष 874 को मोटरेबुल बनाया गया है तथा 335 राजस्व ग्रामों में शत–प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया है। 207 ट्यूबवेल के सापेक्ष 199 ट्यूबवेल कम्प्लीट किये गये हैं। इसी प्रकार 207 के सापेक्ष 199 पम्प हाउस पूर्ण किया गया है। शिरोपरि जलाशय मात्र 64 पूर्ण किये गये हैं। 80 क्लोरिनेशन प्लान्ट लगाये गये है, जिसमें से 76 संचालित किये जा रहें है। 3430 किमी0 पाईप लाईन वितरण के सापेक्ष 3134 किमी0 पाईप लाईन बिछायी गयी है। 196 सोलर प्लान्ट के सापेक्ष 141 सोलर प्लान्ट पूर्ण हो चुके हैं। 83571 नल कनेक्शन के सापेक्ष 76745 नल कनेक्शन 91.83 प्रतिशत दर्शाये गये हैं। 106 कम्प्लेन में 104 का निस्तारण होना दर्शाया गया है। समीक्षा हेतु प्रस्तुत विवरण पत्र में दर्शायी गयी प्रगति के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता भौतिक सत्यापन कराने की आवश्यकता है। प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु कार्यदायी संस्था के साथ–साथ अधिशासी अभियन्ता को भी निर्देश दिये गये। कार्यदायी संस्था को अवशेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने तथा दिनांक 25.03.2025 तक 1500 एफएचटीसी पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

4– सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि **मेसर्स के.एल.एस.आर** द्वारा 113 परियोजनाओं से सम्बन्धित 319 ग्रामों राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 94 ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। रोड रेस्टोरेशन में 234 के सापेक्ष 230 को मोटरेबुल बनाया गया है तथा 171 राजस्व ग्रामों में शत–प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया है। 116 ट्यूबवेल के सापेक्ष 113 ट्यूबवेल कम्प्लीट किये गये हैं। इसी प्रकार 116 के सापेक्ष 100 पम्प हाउस पूर्ण किया गया है। शिरोपरि जलाशय मात्र 06 पूर्ण किये गये हैं। 34 क्लोरिनेशन प्लान्ट लगाये गये है, जिसमें से 29 संचालित किये जा रहें है। 1748 किमी0 पाईप लाईन वितरण के सापेक्ष 1520 किमी0 पाईप लाईन बिछायी गयी है। 113 सोलर प्लान्ट के सापेक्ष 57 सोलर प्लान्ट पूर्ण हो चुके हैं। 43759 नल कनेक्शन के सापेक्ष 34183 नल कनेक्शन 78.12 प्रतिशत दर्शाये गये हैं। 46 कम्प्लेन में 46 का निस्तारण होना दर्शाया गया है। समीक्षा हेतु प्रस्तुत विवरण पत्र में दर्शायी गयी प्रगति के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता भौतिक सत्यापन कराने की आवश्यकता है। प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु कार्यदायी संस्था के साथ–साथ अधिशासी अभियन्ता को भी निर्देश दिये गये। कार्यदायी संस्था को अवशेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने तथा दिनांक 25.03.2025 तक 2000 एफएचटीसी पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

5– निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं के लिये प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री के साथ–साथ निर्माण कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण किये जाने हेतु मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, टीपीआई (थर्ड पार्टी) नामित की गयी है। टीपीआई के जिला प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण सामग्री एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जो आपत्तियां उठायी जाती है, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उनका समयानुसार अनुपालन नही किया जा रहा है। अनुपालन आख्या का प्रतिशत भी असंतोषजनक है। टीपीआई द्वारा प्रस्तुत कम्प्लायंश रिपोर्ट की निम्न विवरण तालिका से कार्यदायी संस्थाओं की उदासीनता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही है।

Status of NCs & Compliances

S.No.	District	TKC	Total NCs reported				Complainces Submitted By TKCs				% Of Compliance Submitted
			Critical (A)	Major (B)	Minor (C)	Total D = A+B+C	Critical (E)	Major (F)	Minor (G)	Total H=E+F+G	I = H/D
2	MAU	M/s LC Infra-TCEL JV	700	4620	146	**5466**	568	2122	106	**2796**	51%
		M/s GA INFRA-VPL JV	415	3861	16	**4292**	221	1803	14	**2038**	47%
		M / s KLSR RAYS	75	1440	16	**1531**	56	523	2	**581**	38%
		Mau Total	**1190**	**9921**	**178**	**11289**	**845**	**4448**	**122**	**5415**	**45%**

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त के अतिरिक्त निर्माण स्थल पर ओल्ड बम्बू का प्रयोग किया जा रहा है। रोड रेस्टोरेशन की गुणवत्ता संतोषजनक नही है। निर्माण कार्यों में पानी की तराई नियमानुसार नही दी जा रही है। पुलिया के उपर से जाने वाली पाईप लाईन को सुरक्षा के दृष्टि से स्टील पाईप अथवा कंकीट से कवर नही किया गया है। श्रमिकों की सुरक्षा के लिये सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी किये जाने की शिकायत की गयी है। कार्यदायी संस्थाओं को इंगित आपत्तियों का निस्तारण करते हुये कम से कम 70 प्रतिशत अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गयें।

6— जिला समन्वयक डीपीएमयू द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के लिये मेसर्स समाज कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान, मेसर्स जन कल्याण समिति, एवं मेसर्स अभिनव बाल ग्रामोत्थान समिति तीन आईएसए संस्थायें सूचीबद्ध हैं। समाज कल्याण ग्रामोद्योग संस्था को 07 क्लस्टर, जन कल्याण समिति को 06 क्लस्टर तथा अभिनव बाल ग्रामोत्थान समिति को 03 क्लस्टर आवंटित है। सोशल रिसर्च इन्स्टीट्यूट संस्था का अनुबन्ध निरस्त होने के पश्चात उसके तीन क्लस्टर में निर्धारित गतिविधियां सम्पादित किये जाने हेतु समाज कल्याण को 01 तथा जन कल्याण को 02 क्लस्टर दिनांक 09.01.2025 को आवंटित किये गये हैं। दुबारा आवंटित क्लस्टर्स में दोनों संस्थाओं द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है। वास्तविक रूप से गतिविधियों को मानक के अनुसार सम्पादित किये जाने की आवश्यकता है। सम्बन्धित आईएसए संस्थाओं के साथ–साथ कोआर्डिनेटर आईएसए को मानक के अनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। विगत समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार माह मार्च की भॉति माह अप्रैल की पूरी कार्य योजना प्रस्तुत की जाय तथा रेण्डम आधार पर सत्यापन भी किया जाय।

मुख्य विकास अधिकारी,
मऊ

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मऊ।

पत्रांक 547 / M-7 / 27 दिनांक 3/5/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2— जिलाधिकारी महोदय, मऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3— अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को अनुपालन हेतु प्रेषित।
4— जिला समन्वयक डीपीएमयू मऊ को अनुपालन हेतु प्रेषित।
5— मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा/मेसार्स जी.ए विश्वनाथ/मेसर्स के.एल.एस.आर को दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित करने एवं अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
6— संबंधित आईएसए संस्थाओं को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी,
मऊ

Scanned with OKEN Scanner